जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक30-04-2021**

आज दिनांक 30.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 260 / 2021 धारा 304 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता संतोष दूबे पुत्र कलाधर निवासी रानीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.04.2021 को वादी के पुत्र को ट्रेक्टर द्वारा कुचलकर घायल कर दिया गया था, जिसे इलाज के लिए सीएचसी मलौली ले जाया गया जहां पर डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृतक के पिता द्वारा लिखित तहरीर देकर दिनांक 26.04.2020 को थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें थाना घनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 30.04.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1494 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत– पीआरवी 1494 को थाना थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत पौनी से इवेन्ट संख्या 07753 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट मे घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना बखिरा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 राजाराम प्रसाद, आरक्षी रविन्द्र कुमार, हो0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 53 वाहनो से 63500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 53 वाहनो से 63500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।